



सं० ECR/HQ/PERS/IRW/VRSP/2026

सभी प्रधान विभागाध्यक्षगण, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

मंडल रेल प्रबंधक
डीडीयू, धनबाद, दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर

चिकित्सा निदेशक
केंद्रीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल/पटना

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, दक्षिण, उत्तर,
एवं आर.एस.पी./महेन्द्रघाट, पटना

मुख्य कारखाना प्रबंधक,
प्लांट डिपो/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं
सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/हरनौत

अध्यक्ष/आरआरसी, मौर्यालोक, पटना
प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण केन्द्र, मुजफ्फरपुर

विषय : महाप्रबंधक स्तरीय “विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2026” हेतु नामन।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्र सं० 2023/O&M/12/4 दिनांक: 11.04.2023

रेल सप्ताह पुरस्कारों हेतु रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र द्वारा जारी निदेशों के आलोक में पूरे पर “विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (VRSP)-2026” हेतु अनुकरणीय, उत्कृष्ट व प्रशंसनीय कार्य करने वाले रेलकर्मियों का “e-self nomination” HRMS के Award Module के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं।

प्राप्त नामनों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच के उपरांत विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार हेतु चयनित रेलकर्मियों को महाप्रबंधक महोदय के कर कमलों से “प्रशस्ति पत्र” प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इस हेतु विस्तृत सूचना आगे प्रकाशित की जाएगी।

Nominations के अंतिम रूप से अनुमोदन की प्रक्रिया हेतु तिथियां निम्नवत निर्धारित की जाती हैं:-

Sl. No.	Process	Last Date
1.	Self-nomination to be submitted by employee/officers through HRMS	Upto 25.05.2026- (23.59 Hrs.) Module will be disabled automatically after the prescribed time
2.	To be forwarded by controlling officer/ supervisor/branch officer after which the complete data will reflect in HRMS at HQ	Upto 28.05.2026- (23.59 Hrs.)
3.	Forwarding back the data electronically to Personnel deptt. of respective divn./unit for obtaining approval of DRM/CWM in consultation with branch officer (if not taken earlier)	Upto 30.05.2026
4.	Recommendations to be approved finalized by DRMs/CWMs	Upto 02.06.2026
5.	Recommendations to be submitted to Personnel deptt./HQ	Upto 03.06.2026 No nomination after the prescribed date will be accepted at all.

अतः सभी मंडलों/इकाईयों से आग्रह है कि इस अधिसूचना का कर्मचारियों के बीच अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए एवं उच्च स्तरीय दक्षता का प्रदर्शन करने वाले रेलकर्मियों का नामन मुख्यालय को HRMS के माध्यम से ससमय अग्रसारित की जाए। कोई भी अनुशंसा Hard copy में न भेजी जाए, ऐसी अनुशंसाएं विचारणीय नहीं होगी। पुरस्कारों हेतु विस्तृत सूचना/निदेश संलग्न हैं।

संलग्नक : यथोपरि

(सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूरे/हाजीपुर

प्रतिलिपि:-

- महाप्रबंधक के सचिव :- महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
- अपर महाप्रबंधक के निजी सचिव-। :- अपर महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
- मुकाधि(प्र०) :- सादर सूचनार्थ।
- महासचिव/ECRSA, मुख्य राज्य आयुक्त/ ECR Bharat Scouts & Guides,अध्यक्ष/ ECRCA
- उपमहाप्रबंधक/सामान्य एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी/पूरे, हाजीपुर
- महासचिव/ ECREU, जोनल सचिव/ AISCTREA, AIOBCREA
- सकाधि/एमपीपी:- इसे पूर्व मध्य रेल के वेबसाइट पर अपलोड करें।

सादर सूचनार्थ।

महाप्रबंधक स्तरीय “विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2026” के अंतर्गत नामन हेतु विस्तृत निदेश

पुरस्कार हेतु अनुशंसाएँ निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं :-

- (i) नई पद्धतियाँ/प्रक्रियाएँ/कार्य प्रणालियाँ जो व्यय में मितव्ययिता, उत्पादकता में वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन आदि को बढ़ावा देता हो।
- (ii) रेलवे के जान-माल की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना किए गए सराहनीय कार्य
- (iii) मुनाफा बढ़ाने और बिना टिकट यात्रा, चोरी आदि रोकने में किए गए विशेष प्रयास।
- (iv) परिचालन को सुधारने, सुरक्षा और संरक्षा, संपत्तियों के रखरखाव तथा उपयोग के लिए किए गए अनुकरणीय कार्य
- (v) परियोजनाओं आदि का रिकॉर्ड समय में पूरा किया जाना।
- (vi) खेल-कूद के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन, जिससे राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय ख्याति/ पहचान मिली हो
- (vii) किसी अन्य क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन।

सामान्य अनुदेश

(क) एक रेलकर्म की अनुशंसा उपरोक्त में से एक ही श्रेणी में की जानी चाहिए।

(ख) सामान्यतः अराजपत्रित कोटि के कर्मियों की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जाये। अपवादस्वरूप, सेलेक्शन ग्रेड तक के अधिकारियों की अनुशंसा की जा सकती है जिन्होंने रेल सेवा में उच्चतम श्रेणी का प्रदर्शन किया हो।

(ग) सामूहिक पुरस्कार हेतु अनुशंसा न की जाय, इन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(घ) वैसे रेलकर्म जिन्हें महाप्रबंधक स्तर पर तीन वर्ष के अंदर पुरस्कृत किया गया है, उनकी अनुशंसा की पुनरावृत्ति न की जाये।

(ङ) यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुशंसित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक मामला अथवा सतर्कता/एसपीई संबंधित मामले लंबित न हो।

पुरस्कारों हेतु विभागावार कोटा निम्नवत निर्धारित है:-

S. NO.	Deptt.	Quota for Award
01	ACCOUNTS	3
02	ADMIN/GENERAL	7
03	CIVIL ENGG (Open line)	11
04	CIVIL ENGG (Constn./South)	1
05	CIVIL ENGG (Constn./North)	1
06	CIVIL ENGG(Constn./RSP)	1
07	COMML	7
08	ELECT	10
09	MECH	9
10	MEDICAL	2
11	TRAFFIC	10
12	PERSONNEL	8
13	SAFETY	1
14	SECURITY	3
15	S&T	5
16	STORES	2
TOTAL		81
